कार्यालय– उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

(जिला ग्रामीण विकास शाखा)

विज्ञापन संख्या– 01/2026

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना।

सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना संख्या–1016(अनु0) ग्रा0 वि0–10–PMAY-G-54/2016 रांची दिनांक 01.03.2017 ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण सफल संचालन हेतु प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU के रिक्त पदों पर पूर्णतया संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आमंत्रण किया जाता है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	कोटि	शैक्षणिक योग्यता	मासिक मानदेय
01	प्रखण्ड समन्वयक	02	अ0ज0जा0 –01 आ0क0वर्ग –01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।	18,000/–
02	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	अ0ज0जा0 –01 आ0क0वर्ग –01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।	10,000/–

नोट :–

(I). उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।

(II). नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी।

1. आवेदक के द्वारा दिनांक 24/06/26 से दिनांक 09/07/26 के अपराह्न 5:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट **https://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर केवल Online आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
2. आवेदन हेतु रिक्त पदों के वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी लातेहार जिला के वेबसाईट **https://latehar.nic.in** पर तथा उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय के सूचना पट्ट में देखा जा सकता है।

13/6/26

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– 522 /डी0आर0डी0बी0 दिनांक :– 13.6.26

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त आवश्यक सूचना को Latehar.nic.in पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना स्थानीय दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को **https://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर अपलोड कराया जाय। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जाय।

13/6/26

उपायुक्त, लातेहार।

कार्यालय– उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

(जिला ग्रामीण विकास शाखा)

विज्ञापन संख्या– 01/2026

सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना संख्या–1016(अनु0) ग्रा0 वि0–10–PMAY-G-54/2016 रांची दिनांक 01.03.2017 ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण सफल संचालन हेतु प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU के रिक्त पदों पर पूर्णतया संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आमंत्रण किया जाता है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0सं0	पद का नाम	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल
1	प्रखण्ड समन्वयक	01	01	02
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	02

नोट :–

(I). उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।
(II). नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी।

1. शैक्षणिक योग्यता :–

प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदो के लिए :–

क्र0 सं0	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
01	प्रखण्ड समन्वयक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
02	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

2. नियुक्ति प्रक्रिया :–

I- जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1. उपायुक्त – – अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त– – सदस्य
3. निदेशक, डी0आर0डी0बी0– – सदस्य–सह–संयोजक
4. जिला सूचना पदाधिकारी – सदस्य
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित (उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)

II- उपर्युक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे तथा दक्षता परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ रखे जायेंगे।

III- नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय) अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

3. आयु सीमा :– उपर्युक्त पदो के लिए आवेदको की आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार निम्नवत होगी। **आयु सीमा की गणना दिनांक 01.06.2026 के आधार पर (न्यूनतम 18 वर्ष) की जायेगी।**

क्र0 सं0	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनो के लिए
01	अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष	50 वर्ष
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष

(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक –29 दिनांक 04.01. 2021 के अनुसार)

4. राष्ट्रीयता :– स्थानीय नीति का अनुपालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा इस संबंध में निर्गत पत्र के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

5. आरक्षण :–

(क)– आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों हेतु स्थायी निवास प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 एवं पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

(ख)– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 156 दिनांक– 06.01. 2017 एवं पत्रांक– 1754 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा तत्समय प्रवृत निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, आय एवं सम्पति प्रमाण –पत्र ही मान्य होंगे।

(ग)–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के संकल्प संख्या–4697 दिनांक 17.08.2023 के आलोक में लातेहार जिला के पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–01) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–02) के उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आवेदन समर्पित कर सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा इस जिला हेतु विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–क) में प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(घ)–निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

6. मेधा सूची का निर्धारण :–

I- आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/ वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहां आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

II- सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता/लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

III- दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

IV- अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना का नाम पैनल के रूप रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

V- दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

7. मूल्यांकन :–

I- आवेदन का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

उक्त अंकित अंको की गणना हेतु तालिका परिशिष्ट–5 पर संलग्न है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नात्तक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।

II- कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III- चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV- कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

8. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :–**

I- इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन **https://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर अंतिम निर्धारित तिथि तक समर्पित करना होगा।

II- आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

III- आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत होगा :–

क्र० सं०	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
01	प्रखण्ड समन्वयक	400 / –	आर्थिक रूप से कमजोर
		200 / –	अ०ज०जा० के लिए
02	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	150 / –	आर्थिक रूप से कमजोर
		100 / –	अ०ज०जा० के लिए

IV- यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

V- आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

VI- आवेदन विभागीय पोर्टल **https://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा।

9 **संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत होगी :–**

(I). प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने के स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

(II). यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(III). उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(IV). संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(V). कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

(VI). आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

(VII). आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(VIII). राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

(IX). नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

उपायुक्त, लातेहार।